

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	प्रथम नियुक्ति तिथि	विदेश का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूजा अय्या. राजप्रावि वनवास, (भाकड़ो) पं.स. बुढाना (शुशुर्त)	24.12.2018	इंडोनेशिया	19.02.2020 से 26.02.2020
2.	श्रीमती संतोष चौधरी अय्या. राजप्रावि लाल कोठी जयपुर	02.04.2005	ऑस्ट्रेलिया	20.04.2020 से 20.06.2020

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौट कर नहीं आने पर सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- विदेश प्रवास के दौरान कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं करेंगे।
- विदेश से भेजा गया त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं ना ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहां जहां रहेंगे उनके पत्तों से इस विभाग को तुरन्त अवगत करायेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जायेगा।
- विदेश यात्रा अवधि में शाला में अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक की आज्ञा से

30/01/2020

उपनिदेशक(पंराज)
बीकानेर

दिनांक : 30/01/2020

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रांशि जयपुर
- प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर